

RBE NO. 39/2022

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(GP)2010/2/45

New Delhi, dt.:31.03.2022

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.

(Kind attn.: PCPOs/PFAs & Dy.CPO(G))

Sub.: Awarding of Marks in APARs in Selections/LDCEs held for
Promotion from Group 'C' to Group 'B' Posts.

Ref.: Board's letter nos. E(GP)87/2/123 dt.19.9.1988, E(GP)89/2/30
dt.29.9.89 & E(GP)2000/2/95 dt.16.01.2001.

In terms of instructions contained in Board's letter no. E(GP)87/2/123 dt.19.9.1988, it has been laid down that assessment of APARs in Selections/LDCEs held for promotion to Group 'B' posts should be based on confidential reports of the last five years. Furthermore, in terms of Board's aforementioned letter dt.29.9.1989, procedure to be adopted for covering the deficiency of APARs through lower grade or previous years (other than the years of reckoning) has been prescribed.

2. Recently, a case has come to light where an employee appearing in LDCE, has been awarded 'Zero' marks against a deficient APAR he has not earned for the initial training period. Therefore, it has now been decided that apart from the procedure laid down in terms of aforementioned instructions, assessment of APARs in Selections/LDCEs held for promotion to Group B posts in case a Group 'C' employee fulfilling the prescribed eligibility criteria, has not earned APARs of requisite number of years either on being initial training, study leave etc.; in such a situation average of APARs of all available years should be reckoned for arriving at gradings of the requisite year(s) for which APAR is not written. In this regard, an illustration with fictitious data is enclosed for ease of understanding.

DA:As above

M. Saluja
31/03/22
(Meenakshi Saluja)
Dy. Director, Esst. (GP)-III
Railway Board
Email ID:meena.1964@gov.in
Phone No.:23047250

ILLUSTRATION

Assessment of Record of Service of Mr.X

ACR for the Year Ending	Overall grading	Grading of attributes					Total of A to E
		3					
1	2	A	B	C	D	E	
2011-12	3.5	-	-	-	-	-	16.5
2012-13	Good	Good	Good	Good	Good	Good	15
2013-14	Good	Average	Good	Good	Good	Good	14
2014-15	Very Good	Very Good	Good	Good	Very Good	Good	17
2015-16	Very Good	Very Good	Very Good	Very Good	Very Good	Very Good	20
Marks Allotted	17.5						82.5

Shri X has been appointed in Railway service on 1.9.2012. His first APAR falls due in the period 1.9.12 to 31.3.2013. Five years APAR upto the year ending 31.3.2016 have been reckoned for calculating marks under 'Record of service' in the Selection held for promotion to Group 'B' post. As one APAR is not available, average of Attributes A to E of the four available APARs is first divided by 4 ($66 \div 4 = 16.5$) and the same is then considered as his total of A to E for the earlier year 2011-12 and similarly overall marks under grading of the four available APARs is also divided by 4 ($14 \div 4 = 3.5$) and the same is considered as his marks under grading for the earlier year 2011-12. Hence, his total grading comes to 17.5 ($14 + 3.5$) and total of A to E comes to 82.50 ($66 + 16.50$).

Calculating further as per the laid down norms, his marks under Record of Service shall be as under:

$$\text{Average of Attributes A to E} = 82.5 \text{ Divided by } 5 = 16.5$$

$$\text{Overall average} \quad 17.5 + 16.5 = 34 \text{ divided by } 2 = 17$$

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं. ई(जीपी)2010/2/45

नई दिल्ली, दिनांक: 31 .03.2022

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।


(ध्यानार्थ: पीसीपीओ/पीएफए एवं डिप्टी सीपीओ (जी))

विषय: ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' सेवा में पदोन्नति के लिए चयन/आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अंक प्रदान करना।
संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 19.09.1988 का पत्र सं. ई(जीपी)87/2/123, दिनांक 29.09.1989 का पत्र सं.ई(जीपी)89/2/30 और दि. 16.01.2001 का पत्र सं. ई(जीपी)2000/2/95

बोर्ड के दिनांक 19.09.1988 के पत्र सं. ई(जीपी)87/2/123 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, यह निर्धारित किया गया है कि ग्रुप 'बी' पदों में पदोन्नति के लिए चयन/आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन पिछले पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के दिनांक 29.09.1989 के उक्त उल्लिखित पत्र के अनुसार, निचले ग्रेड या पिछले वर्षों (गणना के वर्षों से इतर) के माध्यम से वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की कमी पूरी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2. हाल ही में एक ऐसे मामले का पता चला है जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले एक कर्मचारी की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि में शून्य अंक दिया गया है। इसलिए, अब यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त, ग्रुप 'बी' पदों में पदोन्नति के लिए चयन/आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में यदि ग्रुप 'सी' कर्मचारी ने निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे किए हैं और प्रारंभिक प्रशिक्षण, अध्ययन अवकाश आदि पर रहते हुए अपेक्षित वर्षों की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं है तो वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के मूल्यांकन के ऐसे मामले में वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की गणना में, जिस वर्ष वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, अपेक्षित वर्ष (वर्षों) की ग्रेडिंग के लिए सभी उपलब्ध वर्षों के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के औसत की गणना की जाए। इस संबंध में इसे आसानी से समझने के लिए काल्पनिक आंकड़ों सहित एक उदाहरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त।



(मीनाक्षी सलूजा)

उप निदेशक, स्थापना (जीपी)-III

रेलवे बोर्ड

फोन नं. 23047250

ईमेल आईडी: meena.1964@gov.in

श्री. एक्स के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन

को समाप्त वर्ष की एसीआर	समग्र ग्रेडिंग	ग्रेडिंग					ए से ई का योग
		ए	बी	सी	डी	ई	
1	2	3					4
		ए	बी	सी	डी	ई	
2011-12	3.5	-	-	-	-	-	16.5
2012-13	अच्छा	अच्छा	अच्छा	अच्छा	अच्छा	अच्छा	15
2013-14	अच्छा	औसत	अच्छा	अच्छा	अच्छा	अच्छा	14
2014-15	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	अच्छा	अच्छा	बहुत अच्छा	अच्छा	17
2015-16	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	20
आबंटित अंक	17.5						82.5

श्री एक्स को रेल सेवा में 01.09.2012 को नियुक्त किया गया है। उनकी पहली एपीएआर 01.09.2012 से 31.03.2013 की अवधि में नियत है। ग्रुप 'बी' पद में पदोन्नति के लिए चयन में सेवा रिकॉर्ड के अंतर्गत अंक की गणना के लिए 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक पांच वर्षों की एपीएआर की गणना की गई है। चूंकि एक एपीएआर उपलब्ध नहीं है, इसलिए चार उपलब्ध एपीएआर के ए से ई तक के औसत को पहले 4 ($66/4=16.5$) से विभाजित किया जाएगा और इसे ही पूर्ववर्ती वर्ष 2011-12 के लिए ए से ई तक के कुल योग पर विचार किया जाएगा और इसी प्रकार उपलब्ध चार ए एपीएआर की ग्रेडिंग के तहत पूरे अंकों को भी 4 ($14/4=3.5$) से विभाजित किया जाएगा और इसे पूर्ववर्ती वर्ष 2011-12 के लिए ग्रेडिंग के अंतर्गत उसके अंकों के रूप में विचार किया जाएगा। अतः उनकी कुल ग्रेडिंग 17.5 ($14+3.5$) होगी और ए से ई का कुल योग 82.50 ($66+16.50$) होगा।

निर्धारित मानदंडों के अनुसार गणना करते हुए सेवा रिकॉर्ड में उनके अंक निम्नानुसार होंगे:

$$\text{ए से ई तक का औसत} = 82.5/5 = 16.5$$

$$\text{समग्र औसत} = 17.5+16.5 = 34/2 = 17$$